

विधानसभा आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 26(वि.स./सामान्य).स्था/आकाशि/2019/1110 दिनांक: 10 अगस्त, 2020

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।


विषय: 15वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान बैठकें आयोजित नहीं करवाने बाबत।  
संदर्भ: प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान का पत्र क्रमांक प.17 (2)संसद/ 80  
पार्ट दिनांक: 31.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त परिपत्र संलग्न कर लेख  
है कि उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।


संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

  
(बाबू लाल गोयल)  
अतिरिक्त आयुक्त,

क्रमांक: एफ 26(वि.स./सामान्य).स्था/आकाशि/2019/1110 दिनांक: 10 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि: वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय कृपया निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
(डॉ. ताराचंद बैरवा)  
विधानसभा प्रभारी

JSHE  
JSHE  
JSHE

कार्यालय शासन सचिव  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर 37003  
डावरी संख्या  
दिनांक

संसदीय कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक: 31-07-2020

क्रमांक: प.17(2)संसद/80पार्ट

परिपत्र

विषय :- विधान सभा सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के संबंध में।

6/8/20

15वीं राजस्थान विधान सभा का पंचम सत्र दिनांक 14 अगस्त, 2020 से प्रारम्भ हो रहा है। राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय समितियों में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। राजस्थान विधानसभा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार संसदीय कार्य विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर, पंचायती राज तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विशेष रूप से सत्रकाल के दौरान बैठकें नहीं करने के बारे में निवेदन किया जाता है।

विधान सभा में सत्र के दौरान कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है कि सत्र के दौरान अधिकारीगण विभिन्न बैठकें आयोजित करते हैं जिसमें उनकी भागीदारी आवश्यक होती है और उक्त बैठकों में भाग लेने से माननीय सदस्य वंचित रह जाते हैं और यदि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो जिला स्तरीय समिति में बिना उनकी सहभागिता के निर्णय ले लिए जाते हैं तथा अधिकारीगण संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना नहीं करते हैं।

उक्त स्थिति को देखते हुए इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि विधानसभा सत्र काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा गठित विभिन्न राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय/तहसील स्तरीय एवं अन्य समितियों, जिनमें माननीय सदस्यों को भाग लेना पड़ता है, की बैठकें आयोजित नहीं की जाएं एवं विशेष परिस्थितिगत बैठक का आयोजन करना अतिआवश्यक हो तो माननीय सदस्यों की पूर्व सहमति लेवें। यदि भविष्य में बिना माननीय सदस्य की सहमति के बैठक बुलाई जावेगी तो वह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन माना जावेगा और विधानसभा की विशेषाधिकार समिति उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकती है।

कृपया परिपत्र में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें एवं परिपत्र की प्राप्ति की सूचना भी इस विभाग को तुरन्त भिजवाई जावें।

31-7-2020  
प्रमुख शासन सचिव

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरि. शासन उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)/समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि जिनमें मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया संबंधित विश्वविद्यालय एवं अनुदानित विश्वविद्यालय में उपरोक्त परिपत्र की पालना के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का श्रम करें।
8. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के सम्बन्ध में समस्त विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/नगर परिषद/नगरपालिकाओं को निर्देश जारी करें।
9. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृषि उपज मंडी समितियों, जिनमें मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र के पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
10. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग/शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जिन समितियों में मा0 विधायकों की भागीदारी होती है, कृपया उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करावें।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर को परिपत्र के पालन के संबंध में समस्त पंचायत समितियों एवं जिला परिषद को निर्देश जारी करने का श्रम करें।
12. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा-निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

13. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/खण्ड-पीठ, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

31-07-2020